सत्यमेव जयते

असंशोधित

19 MAR 2015

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं० 196 तिथि 25-3-15

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त),183–मो०एल०–1,500

टर्न-१/अंजनी/दि० १९.०३.२०१५

पंचदश विधान सभा **१९ मार्च, २०१५ ई०**

बृहस्पतिवार, तिथि

षोडश सत्र **२८ फाल्गुन, १९३६(शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - ११.०० बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न संख्या-१४०,मा० सदस्या श्रीमती सुनीता सिंह

श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा,मंत्री : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है।

अध्यक्ष : ग्रामीण कार्य विभाग को स्थांतरित किये हैं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जो प्रश्न है, वह प्रश्न नगर विकास विभाग से है और भूलवश लिखा गया है मुख्यमंत्री सेतु योजना से और यह मामला नगर विकास से ही संबंधित है, इसलिए नगर विकास विभाग को ही जबाब देना उचित होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको भेजे हैं, इसको देखवा लेते हैं । स्थांतरित ।

तारांकित प्रश्न सं०-१४१, माननीय सदस्य श्री विक्रम कुँवर

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वित्तीय वर्ष वर्ष २०११-१२ एवं २०१२-१३ में सघन बागवानी योजना के तहत लाभुक कृषकों को फलदार पौधे, विभागीय नर्सरी एवं राज्य के कृषि विश्वविद्यालय से उपलब्ध कराया गया । पौधों की गुणवत्ता एवं अनजान होने का कोई शिकायत कृषकों द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है । इस कार्यक्रम में अनुदान की राशि के भुगतान के संबंध में भी कोई स्पष्ट स्पेसिफिक शिकायत नहीं मिली है । राज्य सरकार द्वारा ए०एन०सिन्हा इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडी से वर्ष २०११-१२ एवं २०१२-१३ में कार्यान्वित प्लैगश्मि प्रोग्राम का मूल्यांकन कराया गया था, संस्थान द्वारा समर्पित मूल्यांकन प्रतिवेदन में दो जिला क्रमशः सारण एवं मधुबनी के कुल तीन लाभुक कृषक के बारे में प्रतिवेदित किया गया है कि उनका नाम जिला द्वारा वितरण सूची में है लेकिन अनुदान का लाभ नहीं मिला है । जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लाभुक श्री श्रवण राम ने मेला में ट्रैक्टर क्रय किया था और उसी समय उसने अनुदान की राशि छोड़कर शेष भुगतान कर ट्रैक्टर प्राप्त किया था । सारण जिला से संबंधित मामले की जांच जिला पदाधिकारी के द्वारा, जिला कृषि पदाधिकारी और एक दंडाधिकारी जो जिला पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त होंगे, इन दोनों के द्वारा करायी जा रही है और उसके संबंध में प्रतिवेदन आने पर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विक्रम कुँवर : अध्यक्ष महोदय, जो ए०एन०सिन्हा इन्स्टीच्यूट ने जांच किया और जांच में एक जिला नहीं, ५-६ जिलों में गड़बड़ियां पायी, जिसका रिपोर्ट इनके पास है । ये रिपोर्ट को छुपा रहे हैं । क्या आप किसी ऐसे सक्षम पदाधिकारी से पूरे बिहार की